

## मराठा आरक्षण वधियक

### प्रलिस के लयल:

सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडल वर्ग (SEBC), [मराठा आरक्षण](#), [अनुच्छेद 15](#)

### मेन्स के लयल:

आरक्षण और सामाजकल तथा शैक्षणकल रूप से पछलडे वर्गों से संबधतल सांवधलनकल उपबंध

[सुरत: इंडयलन एक्सप्रेस](#)

## चरुा में क्युँ?

महाराष्टर वधलनसभल ने हाल ही में सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वर्गों के लयल महाराष्टर राज्य आरक्षण वधियक, 2024 पारतल कयल जसके तहत सामाजकल तथा शैक्षणकल रूप से पछलडे श्रेणयुँ के अंतरगत नुकरयुँ एवं शकुषल में [मराठा समुदल](#) के लयल 10% के आरक्षण कल प्रलवधलन कयल गयल ।

## मराठा आरक्षण वधियक से संबधतल प्रमुख बढल क्यल हैं?

- सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वर्गों के लयल महाराष्टर राज्य आरक्षण वधियक, 2024 को महाराष्टर राज्य पछलडल वर्ग आयोग कल रपुलरुट के आधलर पर तैयलर कयल गयल है ।
  - इस रपुलरुट दवलरल आरक्षण कल आवश्यकुतल को उचतल ठहरलते हुए मराठा समुदल को सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वर्गों के रूप में पहचलनल गयल ।
- यह वधियक भरतुयुँ संवधलन के अनुच्छेद 342A (3) के तहत मराठा समुदल को सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वर्ग के रूप में नरुदषलत करतल है । यह संवधलन के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत इस वर्ग के लयल आरक्षण प्रदलन करतल है ।
  - अनुच्छेद 342A (3) के अनुसार प्रतुयेक राज्य अथवल केंद्रशलसतल प्रदेश सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वर्गों (Socially and Educationally Backward Class- SEBC) कल एक सूचल तैयलर कर उसे बनलए रख सकतल है । ये सूचयुँ संबध वषल कल केंदुरल सूचल से भनलन हु सकतल हैं ।
  - अनुच्छेद 15(4) राज्य को नलगरकुँ के कसलुँ भी सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वर्ग अथवल अनुसूचतल जलतल तथा अनुसूचतल जनजलतल कल उन्नतल के लयल वशलष प्रलवधलन करने कल अधकलर देतल है ।
  - अनुच्छेद 15(5) राज्य को [अलपसंख्यक शैक्षणकल संसुथलनल](#) के अतरकुँ, पछलडे वर्गों, अनुसूचतल जलतलुँ और अनुसूचतल जनजलतलुँ के लयल शैक्षणकल संसुथलनल में प्रवेश के दुरलन सलुँ के आरक्षण कल प्रलवधलन करने में सकुषम बनलतल है ।
  - अनुच्छेद 16(4) राज्य को नलगरकुँ के कसलुँ भी पछलडे वर्ग के पकुष में नयुकुतलुँ यल पदुँ के आरक्षण के लयल प्रलवधलन करने कल अधकलर देतल है, जसकल राज्य कल रल य में, राज्य के तहत सेवलुँ में प्रयलपुत प्रतनलधलतल नहलुँ है ।
- वधियक यह सुनशलुतल करतल है क कुरलमी लेयर कल सदलधलंत ललगू हु, आरक्षण को उन मराठलुँ तक सीमलतल कर दयल गयल है जो कुरलमी लेयर शुरेणल में नहलुँ हैं, जससे समुदल के भलतर परम हलशयल पर रहने वलले ललगुँ को नशलनल बनलतल जल सके ।
- आयोग कल रपुलरुट में [सरवुचुच नयलललय \(इंदरल सलहनी नरुणय \(वर्ष 1992\)\)](#) दवलरल नरुधलरतल 50% सीमल से ऊपर मराठा समुदल को आरक्षण को उचतल ठहरलते हुए "असलमलनय परसलधतललुँ और असलधलरण सथतललुँ" पर प्रकलश डललल गयल ।
  - महाराष्टर में वर्तमलन में 52% आरक्षण है, जसमें SC, ST, OBC, वमुकुतल घुमंतू और अरुदध-घुमंतू समुदलुँ एवं अन्य जैसी वधलनलन शुरेणयुँ शलमलल हैं । मराठुँ के लयल 10% आरक्षण के सलथ, राज्य में कुल आरक्षण अब 62% तक पहुँच जलएगल ।

## मराठा आरक्षण कल पृषुठभूमल

- नलरलयण रलणे सडतलतल:
  - वर्ष 2014 में, नलरलयण रलणे के नेतृतुव वललल सडतलतलने चुनलव से पहले मराठुँ के लयल 16% आरक्षण कल सफलरलश कल, जसल बलद में बडुँबे

हाई कोर्ट ने चुनौती दी और रोक लगा दी।

#### ■ गायकवाड़ आयोग:

- वर्ष 2018 में, महाराष्ट्र सरकार ने गायकवाड़ आयोग के नषिकर्षों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़ा वर्ग (Socially and Educationally Backward Class- SEBC) अधिनियम बनाया, जिसमें 16% आरक्षण दिया गया।
  - बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शक्ति में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया।
- इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने 50% कोटा सीमा से अधिक को उचित ठहराने के लिये अपर्याप्त अनुभवजन्य डेटा का हवाला देते हुए, मई 2021 में कोटा को पूरी तरह से रद्द कर दिया।
  - इंदिरा साहनी नरिणय, 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 50% का न्यम होगा, केवल कुछ असामान्य और असाधारण स्थितियों में दूर-दराज़ के क्षेत्र की आबादी को मुख्यधारा में लाने के लिये 50% न्यम में छूट दी जा सकती है।

#### ■ महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग:

- मराठा आरक्षण मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये न्यायमूर्ति सुनील बी शुकरे (सेवानवृत्त) के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग की स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी।

- शुकरे आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य में मराठों की आबादी 28% है, जबकि उनमें से 84% उन्नत नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इतने बड़े छिड़े समुदाय को OBC वर्ग में नहीं जोड़ा जा सकता है।
- आयोग अत्यधिक गरीबी, कृषि आय में गरीब एवं भूमिहीन वभिजन को मराठा समुदाय की दुरदशा का कारण बताता है। इसके अतिरिक्त, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि राज्य में आत्महत्या करने वाले 94% किसान मराठा समुदाय से हैं।
- आयोग सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को समुदाय के पछिड़ेपन के लिये ज़िम्मेदार मानता है।
- यह सरकारी नौकरियों और वकिसति क्षेत्रों में मराठा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये अतिरिक्त आरक्षण की सफारिश करता है।

## मराठा आरक्षण वधियक के पक्ष और वपिक्ष में क्या तर्क हैं?

#### ■ पक्ष में तर्क:

##### ○ सामाजिक-आर्थिक पछिड़ापन:

- शुकरे आयोग का तथ्यात्मक शोध मराठा समुदाय के समक्ष आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर प्रकाश डालता है, जो उन्हें गरीबी तथा हाशिए पर रहने से ऊपर उठाने के लिये आरक्षण की आवश्यकता का समर्थन करता है।
  - मराठों के बीच किसान आत्महत्याओं का उच्च प्रतिशत उनके आर्थिक संकट की गंभीरता और समुदाय के उत्थान के लिये लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

##### ○ प्रतिनिधित्व:

- मराठों को उनके पछिड़ेपन के कारण ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा के अवसरों से बाहर रखा गया है। सरकारी नौकरियों तथा शक्ति में आरक्षण से वभिनिन क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी में वृद्धि हो सकती है, जिससे समावेशी विकास में योगदान प्राप्त हो सकता है।

#### ■ मराठा आरक्षण के वपिक्ष में तर्क:

##### ○ कानूनी व्यवहार्यता:

- नए वधियक की न्यायिक जाँच का सामना करने की क्षमता के बारे में अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से 50% सीमा से परे आरक्षण के वसितार का समर्थन करने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी के कारण मराठा आरक्षण को अमान्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व नरिणय के प्रकाश में। ऐसा इसलिये है क्योंकि मराठा आरक्षण के पूर्व प्रयासों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः उच्च न्यायालयों में असफल रहे।

##### ○ कुनबी प्रमाण-पत्र विवाद:

- OBC आरक्षण के लिये पात्र "ऋषिसोयार" (कुनबी वंश वाले मराठों के वसितारति संबंधी) को कुनबी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव करने वाली एक मसौदा अधिसूचना ने विवाद को जन्म दिया।
  - वपिक्षी दलों ने नए आरक्षण की व्यवहार्यता और मौजूदा OBC आरक्षण पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाए हैं।

##### ○ मराठा समुदाय के भीतर असंतोष:

- मराठा समुदाय के भीतर कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने OBC श्रेणी में शामिल किये जाने को प्राथमिकता देते हुए अलग आरक्षण पर असंतोष व्यक्त किया।

##### ○ व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता:

- हालाँकि आरक्षण तात्कालिक चिंताओं का समाधान कर सकता है, लेकिन यह मराठों के पछिड़ेपन के मूल कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता है। सतत विकास के लिये शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।

## आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारित 50% कोटा सीमा से परे आरक्षण को उचित ठहराने के लिये मज़बूत अनुभवजन्य डेटा प्रदान करके सुनिश्चित करें कि मराठा आरक्षण वधियक कानूनी रूप से मज़बूत है और न्यायिक जाँच का सामना करता है।
- सरकार को एकीकृत नीतियाँ अपनानी चाहिये जो मराठों के लिये समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु लक्षित कल्याण कार्यक्रमों, कौशल

वकिस पहल और बुनयिदी ढाँचा परयोजनाओं के साथ आरक्षण को जोड़ती हैं।

- पछिड़ेपन के मूल कारणों को संबोधति करने वाली सतत् वकिस पहल को अल्पकालकि वचिरों पर प्राथमकिता दी जानी चाहयि, जसिका लक्ष्य सभी समुदायों के लयि समावेशी वकिस और सामाजकि न्याय है।
- ऐतहिासकि अन्याय को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई उपायों के लयि समझ तथा समर्थन को बढ़ावा देकर सामाजकि एकजुटता एवं समावेशति को बढ़ावा देना।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. कया राष्ट्रीय अनुसूचति जातिआयोग (एन. सी. एस. सी.) धारमकि अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लयि संवैधानकि आरक्षण के करयान्वयन का प्रवरतन करा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/maratha-reservation-bill>

